प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

1. निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक,
महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0 देहरादून।
5. अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, नैनीताल।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी,
संबंधित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0/मा0)
संबंधित जनपद।

पत्रांकः सेवायें–3/ 5089-5105 /काउंसिलिंग(मु0प्र0अ0)/2022–23 दिनांकः 22, जून, 2022

विषयः– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के आदेश सं0–सेवायें–3/90/पदो0(व0प्र0अ0)/2022–23 दिनांक 02–05–2022 द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति सूची जारी की गयी है। तद्क्रम में दिनांक 30–06–2022 तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त होने वाले 08 पदों के सापेक्ष पदोन्नति/पदस्थापना ऑनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से की जानी है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुत कुल 08 कार्मिकों की सूची एवं रिक्तियां विभागीय वैबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर दी गयी है। चयन हेतु संस्तुत कार्मिकों की पदस्थापना दिनांक 25–06–2022 को प्रातः 11.00 बजे ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में की जानी है।

1. काउंसिलिग संबंधी शासनादेश सं0–124/XXIV–2/21/13(01)/2021 दिनांक 09–07–2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–3घ के अन्तर्गत गम्भीर रोग से आच्छादित कार्मिक, धारा–3 के अधीन विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, ऐसे कार्मिक जिनके पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अन्तर्गत विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हो, वरिष्ठ कार्मिक, सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति/पत्नी, दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिक एवं मान्यता प्राप्त सेवा संघों के जनपदीय अध्यक्ष/सचिव को काउंसिलिंग चक्रानुक्रम में प्राथमिकता दी जायेगी।
2. वेबसाइट पर अपलोड की गयी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों की रिक्ति के संबंध में यदि कार्मिक कोई प्रत्यावेदन देना चाहता है तो संबंधित कार्मिक द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रमाण सहित ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रारम्भ होने से 01 घंटा पहले तक निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना होगा। काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के उपरान्त निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी रिक्ति पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत ऐसे कार्मिक जो गम्भीर रोग ग्रस्त श्रेणी, विकलांगता की श्रेणी तथा ऐसे पति–पत्नी जिनका इकलौता/दौनो पुत्र/पुत्री विकलांगता की श्रेणी के अन्तर्गत काउंसिलिंग में वरीयता का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी (राज्य मेडिकल बोर्ड) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति काउंसिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व विभागीय ई–मेल ua.elementary@yahoo.in के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी श्रेणी से संबंधित कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संघों के अध्यक्ष तथा सचिव जिनमें जनपदीय अध्यक्ष/सचिव (जनपद में पद की उपलब्धता के दृष्टिगत स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अनुसार अनुमन्य श्रेणी में) को कार्यकाल का प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने पर ही वरीयता का लाभ दिया जाना सम्भव होगा।
5. ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु समस्त कार्मिकों का काउंसिलिंग प्रारम्भ होने से काउंसिलिंग समाप्ति तक बेहतर नेटवर्क क्षेत्र में रहना अनिवार्य होगा।

कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिनकी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति प्रस्तावित हैं, को ऑनलाइन काउंसिलिंग के संबंध में अवगत कराते हुए तदनुसार काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–कार्मिकों एवं रिक्त पदों की सूची।

भवदीय

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्याः सेवायें–3(3)/5089-5105 /काउंसिलिंग(मु0प्र0अ0)/2022–23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सूची में सम्मिलित अपने विकासखण्ड में कार्यरत कार्मिकों को इस संबंध में सूचित करेंगे।
4. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कार्मिकों की सूची एवं रिक्त पदों की सूची को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित कार्मिक।

22/06/2022

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड